कार्यालय पुलिस अधीक्षक जनपद फतेहपुर

प्रेस नोट, जनपद फतेहपुर

दिनांक 23.11.2026

थाना जहानाबाद पुलिस द्वारा कस्बा जहानाबाद में स्कूटी से ₹2.80 लाख चोरी की घटना का सफल अनावरण; मध्य प्रदेश के जनपद राजगढ़ से 01 शातिर अंतर्राज्यीय चोर गिरफ्तार, कब्जे से चोरी के ₹2,50,000/- नकद बरामद। पुलिस अधीक्षक फतेहपुर श्री अभिमन्यु मांगलिक द्वारा गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम को ₹15,000/- के नकद पुरस्कार से किया गया पुरस्कृत

घटना का संक्षिप्त विवरण- दिनांक 02.11.2026 को वादी अनिल कुमार गुप्ता निवासी बस स्टैण्ड, थाना जहानाबाद, जनपद फतेहपुर द्वारा थाना जहानाबाद पर लिखित प्रार्थना पत्र देकर अवगत कराया गया कि वह अपने घर से ₹2,80,000/- (दो लाख अस्सी हजार रुपये) एक बैग में रखकर अपनी स्कूटी के पैरदान में रखकर पहले पोस्ट ऑफिस तथा वहाँ से रुपये जमा करने हेतु एसबीआई बैंक जा रहे थे। इसी दौरान चेक लेने हेतु वह कस्बा जहानाबाद स्थित श्याम जी किराना स्टोर पर रुके और रुपयों से भरा बैग स्कूटी के पैरदान में ही रखकर दुकान पर बातचीत करने लगे। तभी एक अज्ञात व्यक्ति पैदल आया और स्कूटी के पैरदान में रखा रुपयों से भरा बैग चोरी कर ले गया। दुकान व आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज में अज्ञात व्यक्ति बैग ले जाता हुआ दिखाई दिया। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना जहानाबाद पर मु0अ0सं0 199/2026 धारा 303(2) बीएनएस बनाम अज्ञात पंजीकृत किया गया।

घटना का अनावरण व गिरफ्तारी का विवरण- पुलिस अधीक्षक फतेहपुर श्री अभिमन्यु मांगलिक के निर्देशन में अपराध एवं अपराधियों तथा संपत्ति संबंधी अपराधों की रोकथाम व अनावरण हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक फतेहपुर के मार्गदर्शन तथा क्षेत्राधिकारी बिन्दकी के कुशल पर्यवेक्षण में थाना जहानाबाद पुलिस टीम उपरोक्त अभियोग की विवेचनात्मक कार्यवाही एवं चोरी के माल व अभियुक्तों की पतारसी-सुरागरसी हेतु थाना बोड़ा, जनपद राजगढ़ (मध्य प्रदेश) क्षेत्र में मामूर थी। दिनांक 22.11.2026 को मुखबिर खास की सटीक सूचना पर पुलिस टीम द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए बोड़ा-पचोर मार्ग से ग्राम कड़िया की ओर जाने वाले रास्ते (प्रेमलीला होटल के पास, बहद थाना बोड़ा, जनपद राजगढ़, म0प्र0) से घेराबंदी कर अभियुक्त एरुड़ा पुत्र प्रकाश निवासी ग्राम गुलखेड़ी, थाना बोड़ा, जनपद राजगढ़ (मध्य प्रदेश) उम्र करीब 40 वर्ष को गिरफ्तार किया गया। जामातलाशी के दौरान अभियुक्त के हाथ में लिए लाल रंग के झोले से चोरी के कुल ₹2,50,000/- (दो लाख पचास हजार रुपये) नकद बरामद हुए। गिरफ्तारी व

बरामदगी के आधार पर उपरोक्त अभियोग में धारा 317(2) बीएनएस की बढ़ोत्तरी की गई। आवश्यक विधिक कार्यवाही करते हुए गिरफ्तार अभियुक्त को आज दिनांक 23.11.2026 को मा0 न्यायालय के समक्ष पेश हेतु रवाना किया गया । उक्त सराहनीय कार्य के लिए पुलिस अधीक्षक फतेहपुर श्री अभिमन्यु मांगलिक द्वारा गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम को ₹15,000/- के नकद पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया है।

पूछताछ का विवरण- गिरफ्तार अभियुक्त एरुड़ा ने पुलिस पूछताछ में बताया कि उसने अपने साथियों रणवीर पुत्र ज्वाला (उम्र करीब 19 वर्ष) व आर्यन सिंह सिसोदिया पुत्र नरेन्द्र सिंह सिसोदिया निवासीगण ग्राम कड़िया, थाना बोड़ा, जनपद राजगढ़ (मध्य प्रदेश) के साथ मिलकर दिनांक 02.11.2026 को जनपद फतेहपुर के कस्बा जहानाबाद में स्कूटी के पैरदान में रखा रुपयों से भरा बैग चोरी किया था। चोरी की उक्त धनराशि उसने अपने पास छिपाकर रखी थी और वे सभी ग्राम कड़िया में मिलकर रुपयों का आपस में बंटवारा करने वाले थे, किंतु उससे पूर्व ही पुलिस टीम द्वारा उसे पकड़ लिया गया। शेष धनराशि के संबंध में उसने बताया कि कुछ रुपये उसने अपनी आवश्यकतानुसार खर्च कर दिए हैं। अभियुक्त ने यह भी स्वीकार किया कि वह अन्य कोई कार्य नहीं करता है और रुपयों की आवश्यकता होने पर अक्सर चोरी की घटनाओं को अंजाम देता है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

एरुड़ा पुत्र प्रकाश, निवासी ग्राम गुलखेड़ी, थाना बोड़ा, जनपद राजगढ़ (मध्य प्रदेश), उम्र करीब 40 वर्ष।

बरामदगी का विवरण-

1. चोरी के कुल ₹2,50,000/-

गिरफ्तार अभियुक्त का आपराधिक इतिहास

1. मु0अ0स0 629/2026 धारा 379/411 भादवी0 थाना नई मंडी मुज्जफर नगर उत्तर प्रदेश
2. मु0अ0स0 299/2013 धारा 294/323/34/506 भादवी0 थाना पचोर मध्य प्रदेश
3. मु0अ0स0 140/2019 धारा 379 भादवी0 थाना गंज बैतुल मध्य प्रदेश
4. मु0अ0स0 312/2021 धारा 379 भादवी0 पिपिलिया मंडी मंडसौर मध्य प्रदेश
5. मु0अ0स0 199/2026 धारा 303(2)/317(2) बीएनएसएस0 थाना जहानाबाद जनपद फतेहपुर

गिरफ्तारी व बरामदगी करने वाली पुलिस टीम-

1. उ0नि0 बिन्धेश कुमार गिरि, थाना जहानाबाद, जनपद फतेहपुर
2. हे0का0 सूर्यभान सिंह
3. हे0का0 इन्द्रपाल
4. का0 सूर्य प्रताप

सोशल मीडिया सेल

जनपद फतेहपुर